

**शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं 2 की नियुक्ति हेतु विज्ञापन
कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**

क्र.सं. क्रमांक/दि.प./शिक्षा/ 439

बिलासपुर, दिनांक 20/05/2011

स.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मन्त्रालय, रायपुर के आदेश क्र./पदा-3719(2) पंजाबिन/22/2011/478 रायपुर दिनांक 28.04.2011 के अनुसार स.ग. पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2007 यथा संशोधित तथा समय-समय पर प्रकाशित संशोधित नियमों के अर्धीन जिला पंचायत बिलासपुर के अर्धीन शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चरणीय क्षेत्र में संघालित राजाजों/संस्थाओं में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं 2 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ग	पद	विषय	पद	कुल पद श्रेणीवार				कुल पद
				अ-नारक्षित	अनु.जाति	अनु.जन जाति	अ पि वर्ग	
शिक्षा कर्मी वर्ग-1	जीवविज्ञान	नवीन	नवीन	9	4	5	3	21
	भूगोल	नवीन	नवीन	1	-	-	-	1
	हिन्दी	नवीन	नवीन	12	5	7	4	28
	इतिहास	नवीन	नवीन	2	-	-	-	2
	अंग्रेजी	नवीन	नवीन	13	8	7	4	30
	अंग्रेजी	बेकलाग	नवीन	0	7	3	0	10
	गणित	नवीन	नवीन	9	4	5	3	21
	गणित	बेकलाग	नवीन	0	5	12	0	17
	भौतिक शास्त्र	नवीन	नवीन	3	1	2	1	7
	भौतिक शास्त्र	बेकलाग	नवीन	0	0	6	0	6
	संस्कृत	नवीन	नवीन	8	4	5	3	20
	संस्कृत	बेकलाग	नवीन	0	5	7	0	12
	रसायन शास्त्र	बेकलाग	नवीन	0	1	1	0	2
	सांख्यिक	बेकलाग	नवीन	0	1	12	0	13
योग			57	43	72	18	190	
शिक्षा कर्मी वर्ग-2	जीवविज्ञान	नवीन	नवीन	10	5	6	4	25
	अंग्रेजी	नवीन	नवीन	10	5	6	4	25
	गणित	नवीन	नवीन	15	6	8	5	34
	संस्कृत	नवीन	नवीन	1	-	-	-	1
	व्यायाम शिक्षक	नवीन	नवीन	15	7	9	5	36
	योग			51	23	29	18	121

- UR = अनारक्षित, SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़े वर्ग (बैर शोभीलक्ष्य)
- उपरोक्त रिक्त पद जिला शिक्षा अधिकारी व सहायक आनुसूचित आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त रिक्त एवं बेकलाग पदों के आधार पर हैं। रिक्त पदों की संख्या पद-बंद रहती है। पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिये जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।
 - शासन के नियमानुसार महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत प्रत्याहार सार्वजनिक आरक्षण होगा।
 - शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत आरक्षण होगा।
 - शासन के नियमानुसार दिवंगत अम्मीयों के लिये 8 प्रतिशत आरक्षण होगा।
 - नवीन स्वीकृत पदों का आरक्षण वेस्टर के पूर्व में समाप्त बिन्दु के परभाव किया गया है।

वित्तीय नियम एवं शर्तें

- वेतनमान रुपये :- शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के लिये - वेतनमान 6200-150-8200
शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के लिये - वेतनमान 4500-125-7500
(समय-समय पर शासन द्वारा पुनरीक्षित आदेशानुसार)
- पात्रता की शर्तें :-
आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं -
शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के लिये - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड. उत्तीर्ण।
शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के लिये - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय समूह में स्नातक तथा बी.एड।
बी.एड. के अभाव में नहीं होने की स्थिति में शैक्षणिक अर्हता में से छूट पायी जायेगी।
- आवेदनकों को सर्वोत्तम ढंग से कागज पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाद के लिए निर्धारित मूलतम आयु के पूर्व विवाह कर दिया वह निर्यात हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- उत्तीरणाद के किसी भी जिले के जिला सेवानिवृत्त कार्यालय का जीवित परीक्षण होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय सेवाओं को छूट लेगी, जिसके लिये निरीक्षा का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
- शिक्षाकर्मी के पद पर चयन के समय विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को अनुदिभागीय अधिकारी (सजावट) द्वारा जारी स्थानीय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- शिक्षाकर्मी के पद पर आवेदन करने के लिये को आवेदन के समस्त प्रमाण पर जीवित (रिक्त) होना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में उम्मीदवारों के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग, निकलागत आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तों में सर्वोत्तम शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अंतिम नियम, दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(3) आयु सीमा - दिनांक 01 जनवरी 2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 28 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रकाशित विधियों के अन्तर्गत होगी। साथ ही छद्म प्रवेश, साक्षात् प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्यक्षीय सेवा में नियुक्ति को लिये समतुल्य आदर्शिका पर प्रयत्न की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षार्थी के लिये लागू होगी।

(4) वर्गीय का तरीका -

4.1 शिक्षार्थियों को गैरिटे के आधार पर तीसरी वर्गीय के लिये आवेदनकों को शैक्षणिक योग्यता अर्थात् 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच. में प्राप्त अंकों के आधार पर अतिमान्यता दी जाएगी एवं साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

शिक्षार्थी वर्ग-1 की नियुक्ति की विधि स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक तथा पीएच. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 40 अंक के आधार पर निर्धारित करते हुए गैरिटे के आधार पर चयन किया जाएगा।

शिक्षार्थी वर्ग-2 की नियुक्ति के लिये 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक तथा पीएच. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 40 अंक के आधार पर निर्धारित करते हुए गैरिटे के आधार पर चयन किया जाएगा।

4.2 यद्यपि हेतु अन्यथा की जायता/अपवादता को चयन में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत का होगा एवं शिक्षार्थियों की परीक्षाएँ/लिखित के हावाली में शिक्षार्थी/अभ्यर्थकता को आधार पर किया गयाता द्वारा किया जाएगा। परीक्षाएँ के संदर्भ में किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.3 यथोचित उपरीक्षक कार्यालय द्वारा कक्षा समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.4 यथोचित उपरीक्षक को पुलिस वेरिफिकेशन करने तथा जिला डिफिकल्टर के डिफिकल्टर बोर्ड से स्थायक डिफिकल्टर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के परस्ताप्ट की सेवा में लिया जाएगा।

4.5 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतः नियुक्ति के पत्रों के अन्तर्गत किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

4.6 यथोचित उपरीक्षक की नियुक्ति दो वर्ष की परिदृष्टि पर की जायेगी एवं सेवा समाप्त नहीं पाये जाने पर परिदृष्टि समाप्त करवाई जा सकती है।

4.7 मृत्यु के कारण से अथवा यह है कि आवेदनक स्वयं भारतीय सैन्य सेवाओं में कार्य किया हुआ होगा सादिमें।

4.8 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएँ पूर्ण होगी सादिमें। उसके परस्ताप्ट प्राप्त की गई योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा।

4.9 सर्वोत्तम प्रकार के योग्यता एवं शारीरिक निष्पक्ष विभाग अथवा किसी भी शासन/सेन्ट्र शासन/स्थानीय निष्पक्ष/अन्य विभाग के द्वारा आवश्यक का वर्गी/निष्पक्ष/अस्थायी या अस्थायी निष्पक्ष किये हुए यथोचित नियुक्ति के लिये पत्र नहीं होगा।

4.10 किसी भी प्रकार का कर्मी अथवा अस्थाय प्रमाण पत्र/परस्ताप्ट नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करना गंभीर अपवाद है। अतः कर्मी अथवा आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का कर्मी अथवा अस्थाय प्रमाण पत्र संलग्न कर अस्थाय अतिमान्यता न करें। किसी भी समय यदि नियुक्ति के पूर्व हो या नियुक्ति के पश्चात् आवेदन पत्र गलत अतिमान्यता/अपवादता प्रस्ताप्ट अथवा जांच में अस्थाय प्रमाण पत्र/परस्ताप्ट पाये जाने पर यथोचित अस्थायी को आवेदन/नियुक्ति निष्पक्ष कर आरक्षी केन्द्र में अस्थायिक प्रस्ताप्ट दर्ज कराया जाएगा।


4.11 प्रत्येक वर्ष एक दिवस के लिये प्रत्येक-प्रत्येक आवेदन करना अनिवार्य है।

(5) आवेदन पत्र का प्रारूप :-

आवेदनकों को आवेदन पत्र तबालेख जिला पंचायत बिलासपुर के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप कार्यलय जिला पंचायत बिलासपुर के सूचना पटल, जिला सोजगर कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल एवं जिला शैक्षणिक अस्थाय अर्द्ध बिलासपुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। साथ ही जिले के वेबसाईट www.zpbilaspur.gov.in पर भी आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है।

(6) आवेदन पत्र जमा करने की विधि :-

आवेदनक उपरोक्त निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप को साफ रूप से भरते हुए वांछित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र की अनिप्रमाणित एवं स्वप्रमाणित प्रत्यापति संलग्न करते हुए कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर में रजिस्टर्ड (हार्डी)/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से लिफाफे के ऊपर एवं अंदर में "शिक्षार्थी वर्ग..... विषय....." के पत्र पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखकर मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से पत्रिका किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ कोई मुद्रा देय नहीं है। आवेदन पत्र के साथ 6 रुपये का टिकट (रजिस्टर्ड) तथा सिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/सीड पोस्ट के माध्यम से ही दिनांक 05.09.2011 तक ही स्वीकार किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।


मुकुंदराज यादव (I.A.S.)
मुख्य कार्यालय अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.)

f'k{kdehZ ds in ij fu; qDr grq vkonu i =
f'k{kdehZ ox&-----
¼o"k; %& -----½

अपना पासपोर्ट
साइज का नवीन
फोटो राजप्रत्रित
अधिकारी द्वारा
अभिप्रमाणित कर
चस्पा करें।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
- आयु दिनांक 01.01.2011 को : वर्ष.....माह.....दिन.....
4. पत्र व्यवहार का पता :
- :
- :
5. स्थाई निवास का पता :
- :
- :
6. अनु.जा./अनु.ज.जा./पि.वर्ग./विकलांग :
- (आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्रा की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।)
7. रोजगार कार्यालय का नाम :
- पंजीयन क्रं. व दिनांक :
- नवीनीकरण दिनांक :
8. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हाई स्कूल							
2	हायर सेकेण्डरी							
3	स्नातक							
4	स्नातकोत्तर							
5	बी.एड .							

9. कुल जीवित संतानों की संख्या.....(उनकी जन्मतिथि प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र संलग्न करें)

नाम

जन्म तिथि

1.
2.
3.
4.

(जन्म प्रमाण पत्र/शाला का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र)

10. विवाहित आवेदक के विवाह की तिथि हेतु प्रमाण पत्र एवं विवाह तिथि.....को आवेदक की आयु वर्ष...माह.....दिन.....

शुद्धि के लिए =

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई जानकारी असत्य एवं फर्जी पाई जावेगी तो मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक.....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची =

1. हाईस्कूल परीक्षा (10 वीं) उत्तीर्ण की अंकसूची।
2. हायर सेकेण्ड्री/10+2 उत्तीर्ण अंक सूची।
3. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची।
4. स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की अंक सूची।
5. शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/उपाधि (बी0एड0)।
6. निवास प्रमाण पत्र (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी)।
7. जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री की अंक सूची प्रमाण पत्र।
8. अनु.जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
9. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. ग्रीनकार्ड/शपथ पत्र।
11. विकलांगता प्रमाण पत्र।
12. संतान की संख्या के आधार पर प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सत्यापित करने हेतु)
13. विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।

शुद्धि के लिए =

1. शिक्षाकर्मि वर्ग एवं संकाय
2. संवर्ग (A) अनु.जाति (B) अनु.जन जाति (C) अन्य पि. वर्ग (D) अनारक्षित (E) विकलांग (F) भू.पूर्व सैनिक
3. उम्र (01.01.2011 को) वर्ष.....माह.....दिन.....
4. शिक्षाकर्मि चयन हेतु प्राप्त अंकों का विवरण

शुद्धि के लिए =

स.क्र	परीक्षा विवरण	विषय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	अर्जित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्नातक						
2	स्नातकोत्तर						
3	प्रशिक्षण (बी.एड.)						

शुद्धि के लिए =

स.क्र	परीक्षा विवरण	विषय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	अर्जित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हायर सेकेण्ड्री						
2	स्नातक						
3	प्रशिक्षण (बी.एड.)						

जांच समिति के सदस्य का हस्ताक्षर

नाम

@@?kk'sk.kk i =@@

मैं श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति श्री
.....शिक्षाकर्मी वर्ग-01/ 02 के पद पर संकाय में आवेदन पत्र प्रविष्ट
किया हूं। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि वर्तमान में, मैं किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय
संस्था में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं हूं।

vFkok

मैं वर्तमान में शिक्षा/आजाक./अन्य विभागके शाला/..... वि.खं. ...
.....जिलामें पद.....पर कार्यरत हूं। इस पद पर पदस्थापना
आदेश प्राप्त/कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सेवा से त्याग पत्रा दे दूंगा/दूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

@@?kk'sk.kk i =@@

मैं श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति श्री
..... शिक्षाकर्मी वर्ग-01/ 02 के पद पर संकाय में आवेदन पत्र प्रविष्ट किया
हूं। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरी जन्मतिथिहै। मैं अविवाहित हूं/मेरा विवाह
दिनांक.....को हुआ है। यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरा विवाह न्यूनतम आयु.....के
पश्चात् हुआ है।

आवेदक के हस्ताक्षर

@@?kk'sk.kk i =@@

मैं श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति श्री
.....शिक्षाकर्मी वर्ग-01/ 02 के पद पर संकाय में आवेदन पत्र प्रविष्ट
किया हूं। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरी कुल संतान.....है जिनमें सेका
जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् दिनांक.....को हुआ है।

आवेदक के हस्ताक्षर